—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव, (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 56/2018

उनवान

1. रामेश्वर पुत्र गोगराज
2. उमराव सिंह पुत्र गोगराज
3. रंगलाल पुत्र गोगराज
4. मंजू पत्नी सम्पतराज
5. अनिल पुत्र सम्पतराज
6. प्रीतम पुत्र सम्पतराज समस्त जाति माली निवासी ग्राम जगपुरा, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र मिठ्ठुलाल
2. बिल्लू पुत्र मिठ्ठुलाल
3. प्यारेलाल पुत्र सेडूराम समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम जगपुरा, नसीराबाद
4. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 व 2 जरियें अधिवक्ता श्री नितेश यादव
4 राज. पैरोकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :— 26.12.24

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम जगपुरा के हाल खसरा नम्बर 97/2 रकबा 0.78 की आराजी प्रार्थीगण की कयशुदा है। अप्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है, इसके बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी पर काटों की बाड लगाकर निर्माण कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या **1 से 2 ने** जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई भी अतिक्रमण नही किया गया है। अप्रार्थीगण पूर्वजों के समय से ही ग्राम जगपुरा की आबादी भूमि पर ही काबिज है। आबादी के दक्षिण दिशा में लगायत राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय, देवस्थान, सामुदायिक भवन गत 30 वर्षो से बना हुआ है। प्रार्थीगण ग्राम जगपुरा की आबादी भूमि को हडपना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

राज. पेरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :—

ग्राम जगपुरा के हाल खसरा नम्बर 97/2 रकबा 0.78 की आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:08:52 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। अप्रार्थी संख्या **1 से 2 ने** जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई भी अतिक्रमण नही किया गया है। अप्रार्थीगण पूर्वजों के समय से ही ग्राम जगपुरा की आबादी भूमि पर ही काबिज है। आबादी के दक्षिण दिशा में लगायत राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय, देवस्थान, सामुदायिक भवन गत 30 वर्षो से बना हुआ है। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा आबादी भूमि पर काबिज है अथवा प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर दखल कर रहे है यह मूल वाद में साक्ष्य से ही तय होगा। आराजी मुतनाजा प्रार्थीगण की खातेदारी होने से उक्त आराजी पर दखल व मदाखलत करने का अप्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार नही है। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण आराजी मुतनाजा के खातेदार है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी पर दखलदांजी की जाती है तो मौके पर वाद बहुलता होगी। अतः मौके पर वाद बहुलता रोकने के लिये अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना न्यायोचित है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम जगपुरा के हाल खसरा नम्बर 97/2 रकबा 0.78 की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरियें अस्थायी निषेघाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखदांजी नही करे व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:08:52 IST
Reason: SelfAttested